

बिहार सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पोर अली खां मार्ग, पटना-800 014  
संख्या-व.सं./32/2021- ७५२

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 11/10/2021

विषय – मधेपुरा जिलान्तर्गत बी०पी० मंडल चौक–मधेपुरा–वेस्टर्न बाईपास (पुराना NH-107) एवं कॉलेज चौक–जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NH-107) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1725 हें० वन भूमि का “मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना के पक्ष में” अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्थीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 07.11.2014 एवं पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्थीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. मधेपुरा जिलान्तर्गत बी०पी० मंडल चौक–मधेपुरा–वेस्टर्न बाईपास (पुराना NH-107) एवं कॉलेज चौक–जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NH-107) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1725 हें० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पूर्णियां अचल, पूर्णियां के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. विधायाकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई0) दिनांक 16.02.1994 एवं 1441 (ई0) दिनांक 16.11.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। परियोजना निर्माण के क्रम में 0.1725 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन के साथ परियोजना निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूरा करने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा किया गया है।
5. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 से कम प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तावित परियोजना रेखांकण को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, मध्यपुरा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।
1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
  2. 0.1725 हेक्टेयर वन भूमि के लिये नेट प्रजेक्ट नेटवॉर्क (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से रु० 1,07,985/- की 50% राशि रु० 53,993/- (स्वप्न तिरपन हजार नौ सौ किलोमीटर) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
9. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
10. Laying of underground CNG and PNG पाईप लाईन अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।
11. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
- अनु०—यथोक्ता।
- विश्वासभाजन,  
अरविन्दर सिंह  
(अरविन्दर सिंह)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

मधेपुरा जिलान्तर्गत बी०पी० मंडल चौक-मधेपुरा-वेस्टन बाईपास (पुराना NH-107) एवं कॉलेज चौक-जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NH-107) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.1725 हे. वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट-

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-।	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित Geo-referenced नक्शा	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-॥	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-॥॥	संलग्न।
8	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-IV	संलग्न।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।